संख्या-18/2015/2182/71-1-2014-जी-436/2012

प्रेषक,

शैलेन्द्र नाथ शुक्ल,
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 12 फरवरी, 2015

विषय:- वेतन समिति 2008 के आठवें प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिए गये निर्णयानुसार प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों के डेन्टल हाईजिनिस्ट/डेन्टल मैकेनिक पदधारकों को उच्चीकृत वेतनमान प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एमई-1/2014/2414, दिनॉक 17-07-2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति 2008 के आठवें प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-253/दस-54(एम)/2008, दिनॉक 09 मार्च, 2010 द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में राज्यपाल महोदय चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों के डेन्टल हाईजिनिस्ट/डेन्टल मैकेनिक, जिनकी अर्हता चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के डेन्टल हाईजिनिस्ट/डेन्टल मैकेनिक के समान निर्धारित है, के पदों पर अनुमन्य वेतनमान रू0 4000-6000 के स्थान पर दिनॉक 01 जनवरी, 2006 से रू0 5000-8000 का उच्चीकृत वेतनमान (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200) प्रकल्पित आधार पर अनुमन्य करते हुये वास्तविक लाभ/नगद भुगतान दिनॉक 01 दिसम्बर, 2008 से किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- उपर्युक्त प्रस्तर-1 के अनुसार विभिन्न पद पर अनुमन्य संशोधित/उच्चीकृत वेतनमान (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन) में संबंधित कर्मचारी का वेतन शासनादेश संख्या-वे0ओ0-2-1318/दस-59(एम)/2008, दिनॉक 08 दिसम्बर, 2008 तथा समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों की व्यवस्थानुसार दिनॉक 01-01-2006 से रू0 5000-8000 का उच्चीकृत वेतनमान पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड रू0 9300-34800 ग्रेड पे रू0 4200 प्रकल्पित आधार पर अनुमन्य करते हुए वास्तविक लाभ/नगद भुगतान दिनॉक 01-12-2008 से किया जायेगा।

3- उपरोक्तानुसार वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में संशोधन के फलस्वरूप प्रभावित कर्मचारी द्वारा शासनादेश संख्या-वे0ओ0-2-1318/दस-59(एम)/2008, दिनॉक 08 दिसम्बर, 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना के संबंध में दिये गये विकल्प के स्थान पर संशोधित विकल्प इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से 90 दिन के अन्दर प्रस्तुत किया जा सकेगा।

4- चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेजों के डेन्टल हाईजिनिस्ट/मैकेनिक पदों के सृजन से संबंधित समय-समय पर निर्गत शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत डेन्टल हाईजिनिस्ट/मैकेनिक पदों पर अर्हता भर्ती की प्रक्रिया चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के समकक्ष पदों के अनुरूप होगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-वे0आ0-1-92/दस-2015, दिनॉक 11 फरवरी, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(शैलेन्द्र नाथ शुक्ल)
अनु सचिव

संख्या:- 18/2015/2182(1)/71-1-2014 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, समस्त मेडिकल कालेज एवं सम्बद्ध चिकित्सालय।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, इलाहाबाद, कानपुर, मेरठ, आगरा, झॉसी, गोरखपुर, अम्बेडकर नगर, जालौन, कन्नौज, आजमगढ़ एवं सहारनपुर।
5- नियोजन अनुभाग-4
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2,
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(शैलेन्द्र नाथ शुक्ल)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in